रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-06122022-240834 CG-DL-E-06122022-240834

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5437] No. 5437] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 5, 2022/अग्रहायण 14, 1944 NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 5, 2022/AGRAHAYANA 14, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5669(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), जयपुर,को राजस्थान राज्य में नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट जयपुर रिंग रोड उत्तर के कि.मी. 101.000 से कि.मी. 145.100 [रारा-48 (कि.मी. 236.730) से एन.ई.-4सी (कि.मी. 64.350)] तक के भूखंड में निर्माण (चौड़ा करने/ छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में जयपुर रिंग रोड उत्तर के कि.मी. 101.000 से कि.मी. 145.100 [रारा-48 (कि.मी. 236.730) से एन.ई.-4 सी (कि.मी. 64.350)] तक की बाबत भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम		गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर		राजस्थान	जयपुर	जयपुर	1 सुमेल 2 रूपा की नांगल

8078 GI/2022 (1)

	Road के		1	
(कि.मी.		3 मालपुरा डूंगर	
	101 से		4 मालपुराचौङ	
	145.1		5 विजयपुरा	
	तिक		6 बगराना	
			1 चौंप	
			2 बिलौंची	
			3 कालीघाटी	
			4 जैतपुरखींची	
			5 सांगावाला	
			6 अचरोल	
		आमेर	7 अणी	
			8 धींगपुर	
			9 लबाना	
			10 पोखरावाला उर्फ आनन्दपुरा	
			11 भीवपुरा	
			12 ढ़ण्ड	
			13 नांगल तुर्कान	
			14 कांकरेल	
			1 भानपुर कलां	
			2 टीकमपुरा	
			3 चिक चैनपुरा बास दाखिल खारिज साईवाड़	
			4 साईवाड़	
			5 रामपुरा उर्फ चावा की नांगल	
		 जमवारामगढ़	6 सायपुरा	
			7 कुशलपुरा	
			8 चक चैनपुरा	
			9 पालेड़ा	
			10 बाल किशनपुरा	
			11 चावण्डकामण्ड	
			12 लांगड़ियावास	

	13 मथुरादासपुरा
	14 चक चेनपुरावास साईवाड

फा. सं. NHAI/JPR/JRR (North)/LA/2022]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2022

S.O. 5669(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorises the Additional District Collector (II), Jaipur as the competent authority to perform the functions of such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 101.000 to Km. 145.100 [NH-48 (at Km. 236+730) to NE-4C (at Km. 64.350)] of Jaipur Ring Road North for building (widening / six-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of Rajasthan as specified in the Schedule given below.

SCHEDULE

Acquisition of land in respect of Jaipur Ring Road North in the State of Rajasthan on the stretch from Km. 101.000 to Km. 145.100 [NH-48 (at Km. 236+730) to NE-4C (at Km. 64.350)].

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
					JAIPUR	1 SUMEL 2 RUPA KI NANGAL 3 MALPURA DOONGAR 4 MALPURA CHAUR 5 VIJAYPURA 6 BAGRANA
1	Additional District Magistrate II Jaipur	101KM To 145.1KM	RAJASTHAN	JAIPUR	AMER	1 CHONP 2 Bilonchi 3 KALIGHATI 4 JAITPURKHEENCHEE 5 SANGAWALA 6 ACHROL 7 ANI 8 DHEENGPUR 9 LABANA 10 POKHARAWALA URF ANANDPURA 11 Bheevpura 12 DHAND 13 NANGAL TURKAN 14 KANKREL

[F. No. NHAI/JPR/JRR (North)/LA/2022]
RAJESH GUPTA, Director